HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension of sentence Application No. 470/2026
IN

S.B. Criminal Revision Petition No. 1660/2026
CNR: RJHC020835072026 | URN: CRLR / 3023U / 2026

Subhkaran Son of Ramgopal, Resident of Sura Ka Baas, Police Station Bisau, District Jhunjhunu (Raj.)
(At Present In District Jail, Jhunjhunu)

----Accused/Petitioner

Versus

1. The State of Rajasthan, Through P.p.
2. Suman Devi Wife of Late Vikash, Resident of Kajla Ki Dhani, Tan Ajadi Kalan, At Present Resident of Shastri Nagar, Jhunjhunu (Impleaded As Respondent No. 2 In Compliance Of Order Sheet Dated 01/12/2023)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Surendra Singh Sunda, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

14/09/2026

1. यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र याची–अभियुक्त **शुभकरण पुत्र रामगोपाल** की ओर से अंतर्गत धारा **438 सपठित धारा 442 बीएनएसएस** में विद्वान अपीलीय न्यायालय–**अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–02, झुंझुनू (राज.)** द्वारा आपराधिक नियमित अपील संख्या–**10/2025** में पारित निर्णय व आदेश **दिनांक 18.08.2026** से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय–**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू (राज.)** द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या **646/11(सीआईएस**

नंबर–1616/14) में पारित निर्णय व दंडादेश **दिनांक 12.10.2023** जिसके द्वारा याची–अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा **279, 304ए भादस व धारा 134/187 एम.वी.एक्ट** में दोषसिद्ध कर निम्न दंडादेश पारित किया, जिसकी पुष्टि की गई–

अपराध अंतर्गत धारा	सजा	अर्थदंड	अदम अदायगी अर्थदंड
279 भादस	06 माह के कठोर कारावास	1,000/– रुपये	01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
304ए भादस	02 वर्ष के कठोर कारावास	25,000/– रुपये	06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
134/187 एम.वी.एक्ट	02 माह के कठोर कारावास	1,000/– रुपये	15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास

2. विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त की ओर से नियम 311(3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3. बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है एवं उसे दोषसिद्ध करने हेतु लेशमात्र साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में याची–अभियुक्त का नाम अंकित नहीं है एवं बस कंडेक्टर ने बस से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से इनकार किया है। उनका यह भी कथन है प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र गवाहान प्रस्तुत नहीं हुए हैं। उनका यह भी कथन है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन किए बिना ही क्रमशः आलोच्य आदेश दिनांक 18–08–2026 एवं आदेश दिनांक 12–10–2023 पारित किए हैं, जो विधिसम्मत नहीं हैं, उनका यह भी कथन है कि याची–अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर आजाद था एवं वह प्रकरण में दिनांक 18–08–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य

पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है, प्रस्तुत निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगेगा, अतः न्यायहित में उसका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये उसे अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

6. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7. हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति तथा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत निगरानी याचिका के निर्णयार्थ महत्वपूर्ण तथ्य एवं विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है, अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, याची–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा निगरानी में उठाए गए कानूनी मुद्दों एवं निगरानी के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः याची–अभियुक्त **शुभकरण पुत्र रामगोपाल** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/–रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000–25000/–रूपए (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस** हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह इस न्यायालय में दिनांक **14.10.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो **विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय** द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय क्रमशः **दिनांकित 12–10–2023 तथा 18–08–2026** तहत दिए गए **''दण्डादेश''** (sentence) की क्रियान्विती को इस

निगरानी याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे एवं याची/अभियुक्त को इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(BHUWAN GOYAL),J

12/RAHUL